न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15/2023 (राजसमन्द आर्डर)

गैनसिंह पिता नीम्बसिंह जी, जाति रावत, निवासी ग्राम हिन्दोला, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. दीपसिंह पिता जग्गासिंह जी, जाति रावत, निवासी पाडाभगड, बनजारी, तहसील टॉडगढ़, जिला अजमेर (राज.)
2. श्रीमती जनक कंवर पत्नी दीपसिंह जी, जाति रावत, निवासी पाडाभगड, बनजारी, तहसील टॉडगढ़, जिला अजमेर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. गिरधारीसिंह पिता नीम्बसिंह जी, जाति रावत, निवासी ग्राम हिन्दोला, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. गोपालसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जी, जाति रावत, निवासी ग्राम हिन्दोला, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
6. नरेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जी, जाति रावत, निवासी ग्राम हिन्दोला, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अ०–1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, भीम दिनांक
16.05.2023 प्रकरण सं० 18/2021

———/———

उपस्थित :– 1. श्री आर.एल. रावत अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट संख्या 3

———/———

निर्णय **दिनांक 11–08–2025**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नेड़ी, तहसील भीम में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 14746 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है। मौजा चकला, तहसील भीम की खेवट व खतौनी जमाबन्दी सन् 1350 फसली, जो वर्तमान में ग्राम नेड़ी में स्थित है। उपरोक्त खेवट नंबर 129 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि में 16 हिस्सेदार थे, जिसमें प्रार्थी के पूर्वज काश्तकार मय वल्दियत कोमियत व सकूनत दर्ज है। उपरोक्त खेवट संख्या 129 की सिलसिला नंबर खाता खतौनी संख्या 2 में साबिक नंबर 12929 स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 14746 है। प्रार्थी का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। उक्त साबिक नंबर 12929 भाई बंटवारे में प्रार्थी के पिता नीम्बसिंह को मिला था, जिस पर प्रार्थी के पूर्वज 1955 के पूर्व से ही काबिज चले आ रहे हैं तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2018 में काश्त दर्ज है। प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत भी बार्ड आपरेशन ऑफ ला खातेदार काश्तकार हो गये हैं। सेटलमेन्ट को पूर्व इन्द्राज को ही रिपीट करना चाहिए था, बिलानाम सिवायचक दर्ज करने का अधिकार नहीं था। विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थी की उक्त भूमि पर जबरन ब्लास्टिंक कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 16–05–2023 को यह आदेश पारित किया कि ''वादग्रस्त भूमि के मौके पर शान्ति कायम है जिससे आगे किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है'', जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–10–2023 को प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:34 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता श्री आर. एल. रावत उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 27–08–2023 को अपीलान्ट ने जब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब उक्त आदेश की जानकारी हुई। इससे पूर्व उन्हें उक्त आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि पत्रावली तामील में नियत थी तथा रेस्पोडेन्ट/विपक्षीगण का कोई जवाब पेश ही नहीं हुआ है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कथित आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेन्टगण मौके पर कब्जा करने पर आमादा है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि के मौके पर शान्ति कायम होना मानते हुए कार्यवाही ड्रोप करने का आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपील के निस्तारण के रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि पत्रावली तामील में चल रही थी तथा रेस्पोडेन्ट/विपक्षीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है,

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:34 IST
Reason: SelfAttested

फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने "वादग्रस्त भूमि के मौके पर शान्ति कायम है जिससे आगे किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है", का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश किस आधार पर पारित किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रकरण में कोई ड्रोप किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

9. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16–05–2023 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट/विपक्षीगण का जवाब लेकर एवं उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर साक्ष्यों के आधार पर विवचेन करते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09–10–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 11–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

11/8/25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:34 IST
Reason: SelfAttested